10 अप्रैल, 2020

सरकारी आदेश 2020-24

<u>COVID-19 की प्रतिक्रिया में सरकारी आदेश</u>
<u>(COVID-19 सरकारी आदेश संख्या 22)</u>

जबकि, मैं, जे.बी. प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), इलिनॉय के गवर्नर, ने कोरोनावायरस रोग 2019 (COVID-19) के प्रकोप की प्रतिक्रिया में 9 मार्च, 2020 को इलिनॉय राज्य की समस्त काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया था (प्रथम राज्यपालीय आपदा उद्‌घोषणा); और,

जबकि, मैंने कोविड-19 के विस्फोटक फैलाव की प्रतिक्रिया में 1 अप्रैल, 2020 को पुनः इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया (द्वितीय राज्यपालीय आपदा उद्‌घोषणा और प्रथम राज्यपालीय आपदा उद्‌घोषणा के साथ संयुक्त रूप से राज्यपालीय आपदा उदघोषणाएं) और,

जबकि, कुछ ही समय में कोविड-19 तेजी से पूरे इलिनॉय में फैल गया, इसलिए संघीय, राज्य और स्वास्थ्य क्षेत्र के स्थानीय अधिकारियों द्वारा अद्यतन जानकारी तथा अधिक सख़्त निर्देश (मार्गदर्शन) दिए जाने की आवश्यकता है; और,

जबकि, पूरे इलिनॉय राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के संरक्षण के लिए, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बीमार लोगों की सेवा करने में सक्षम है, मुझे कोविड-19 के प्रसार को धीमा करने और रोकने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अतिरिक्त, महत्वपूर्ण उपाय करना आवश्यक लगता है; तथा,

जबकि, सामाजिक दूरी बनाए रखना, जिसमें लोगों के बीच कम-से-कम छह फ़ीट की दूरी बनाए रखनी होती है, हमारे समुदायों में कोविड-19 के प्रसार को न्यूनतम करने की सर्वोत्तम रणनीति है;और,

जबकि, कोविड-19 के परिणामस्वरूप कुछ जनसमूहों को इस बीमारी से तेजी से और अधिक गंभीरता से ग्रस्त होने का ऊँचा खतरा है, जिनमें वृद्ध वयस्क एवं गंभीर दीर्घकालिक बिमारियों जैसे हृदय रोग, मधुमेह, फेफड़ों के रोग या अन्य मानसिक या शारीरिक व्याधियों से ग्रस्त व्यक्ति शामिल हैं;और,

जबकि, इलिनॉय के मानव सेवा विभाग ("DHS") में, वर्तमान में, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अपने राज्य संचालित फोरेंसिक उपचार कार्यक्रमों (DHS Forensic Treatment Programs) के लिए संदर्भित किए गए प्रतिवादी रहते हैं, इनमें से अधिकांश के द्वारा, उनकी एक-दूसरे से निकटता और आवास इकाइयों और डाइनिंग हॉल में एक-दूसरे के साथ संपर्क के कारण, विशेष रूप से कोविड-19 से ग्रस्त होकर इसे दूसरों में फैलाए जाने का खतरा है; और,

जबकि, कई अदालतों में इन मामलों की सुनवाई जारी है और जो मुक़दमे का सामना करने में अक्षम घोषित व्यक्तियों या पागलपन के कारण निर्दोष करार दिए गए व्यक्तियों को DHS फॉरेंसिक उपचार कार्यक्रमों

(DHS Forensic Treatment Programs) में ट्रांसफर करने का आदेश देती हैं, इसके विपरीत, कोविड -19 के प्रसार को धीमा करने के प्रयास में, कुछ काउंटी जेलों को मरम्मत सेवाओं के पूरा होने के बाद DHS फॉरेंसिक उपचार कार्यक्रमों (DHS Forensic Treatment Programs) से आने वाले लोगों के पुनः प्रवेश के लिए बंद कर दिया गया है; और

जबकि, परिणामस्वरूप, DHS के पास वर्तमान में अतिरिक्त व्यक्तियों को रखने के लिए और साथ ही अपनी मानसिक स्वास्थ्य वाली आबादी को अलग से रखने और संगरोध करने (isolate and quarantine) के लिए आवास क्षमता सीमित है, इन लोगों में कोविड-19 के लक्षण हो सकते हैं या इसके टेस्ट में पॉजिटिव आ सकते हैं; और,

जबकि, क्योंकि कई व्यक्तियों के साथ उनकी निकटता और संपर्क के कारण, काउंटी की जेलों के ऐसे व्यक्ति, जिन्हें मुकदमे के लिए अयोग्य ठहराया गया है या पागलपन के कारण निर्दोष करार दिया गया है और जो DHS फोरेंसिक उपचार कार्यक्रमों (DHS Forensic Treatment Programs) में ट्रांसफर किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे कोविड-19 के रोगी हो सकते हैं या उनमें रोगसूचक लक्षण हो सकते हैं;और,

जबकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि DHS फॉरेंसिक उपचार प्रोग्राम्स (DHS Forensic Treatment Programs) में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए DHS के सचिव लोक स्वास्थ्य दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी आवश्यक कदम उठा सकते हैं, ट्रांसफर्स की गति को नियंत्रित करने के लिए सचिव को काउंटी शेरिफ और अन्य भागीदारों के साथ मिलकर काम करने की अनुमति देकर जब भी संभव और उपयुक्त हो इस तरह के कार्यक्रमों में भर्ती होने वाले व्यक्तियों की संख्या में किसी भी वृद्धि को अस्थायी रूप से सीमित करना महत्वपूर्ण है; और,

जबकि, DHS कर्मचारियों में पहले से ही कोविड-19 के लक्षण हैं, और भविष्य में हो सकते हैं, या इसके टेस्ट में कोविड-19 पॉजिटिव आ सकते हैं, जिससे उनके आवश्यक कार्यों को करने की क्षमता बाधित होती है; और,

जबकि, यह आवश्यक है कि DHS अपने राज्य-संचालित विकास केंद्रों और राज्य-संचालित मनोरोग अस्पतालों (State-Operated Developmental Centers and State-Operated Psychiatric Hospitals) में पर्याप्त कार्यबल बनाए रखे, आम जनता की सुरक्षा के लिए और साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे व्यक्ति जो मानसिक रोगी हैं उन्हें या बौद्धिक या विकासात्मक अक्षमता वाले रहवासियों को कोविड-19 संकट के दौरान पूरे समय आवश्यक सेवाएं प्रदान की जाती रहें; और,

जबकि, DHS ऑफिस ऑफ इंस्पेक्टर जनरल (DHS Office of Inspector General) राज्य-संचालित मनोरोग अस्पतालों और विकासात्मक केंद्रों (State-Operated Psychiatric Hospitals and Developmental Centers) में दुर्व्यवहार, उपेक्षा और वित्तीय शोषण के आरोपों की जांच करता है, और इसकी जांच के दौरान और इसकी अंतिम जांच रिपोर्ट जारी करने से पहले प्रारंभिक निष्कर्ष निकाल सकता है कि क्या आरोपों की पुष्टि होती है,आरोप प्रमाण रहित हैं, या निराधार हैं; और,

जबकि, 405 ILCS 5/3-210 प्रदान करता है कि "जब सेवाओं के लाभार्थी के संदिग्ध दुर्व्यवहार की एक रिपोर्ट की जांच विश्वसनीय सबूतों के आधार पर इंगित करती है, कि एक मानसिक स्वास्थ्य या विकासात्मक विकलांगता सुविधा का कर्मचारी दुर्व्यवहार करने का अपराधी है, तो उस कर्मचारी को तुरंत उन सेवाओं का लाभ लेने वाले लाभार्थियों के साथ आगे किसी भी संपर्क से रोका दिया जाएगा, जब तक कि कर्मचारी के विरुद्ध कोई भी आगे की जांच, अभियोजन या अनुशासनात्मक कार्रवाई का परिणाम लंबित रहता है"; और,

जबकि, 20 ILCS 1305/1-17 (s) प्रदान करता है कि "इंस्पेक्टर जनरल लोक स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता रजिस्ट्री (Department of Public Health's Health Care Worker Registry), एक सार्वजनिक रजिस्ट्री, को रिपोर्ट करेगा; एक सुविधा या एजेंसी के उस प्रत्येक कर्मचारी की पहचान और जांच के परिणाम जिसके विरुद्ध एक अंतिम जांच रिपोर्ट है जिसमें उस पर शारीरिक या यौन शोषण, आर्थिक शोषण, या किसी व्यक्ति की गंभीर उपेक्षा के पुख़्ता आरोप हैं; और

जबकि, 405 ILCS 5/3-210 के आधार पर, जबकि आरोपों की पूरी तरह से और स्वतंत्र रूप से जांच की जा रही हो उस दौरान सेवाओं के लाभार्थियों के साथ संपर्क से रोक देने के उपरांत, कानून राज्य कर्मचारियों को उनके प्रत्यक्ष देखभाल वाले पदों पर काम पर लौटने की अनुमति देता है अगर DHS ऑफिस ऑफ इंस्पेक्टर जनरल (DHS Office of Inspector General) ने अंतिम जांच रिपोर्ट जारी की है, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया है कि: (i) आरोप प्रमाणरहित हैं या निराधार हैं; या (ii) आरोपों की पुष्टि होती है परंतु वे इलिनॉय लोक स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता रजिस्ट्री (Illinois Department of Public Health's Health Care Worker Registry) (HCWR) को सूचित किए जाने वाले आचरण के स्तर के नहीं हैं; और,

जबकि, कई उदाहरणों में, एक तरफ DHS ऑफिस ऑफ इंस्पेक्टर जनरल द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कि आरोप प्रमाणरहित हैं, निराधार हैं या उनकी पुष्टि होती है परंतु वे HCWR को रिपोर्ट किए जाने योग्य नहीं हैं और दूसरी तरफ अंतिम जांच रिपोर्ट जारी करने के बीच में कुछ अन्तराल होता है; और,

जबकि, उस वैधानिक आवश्यकता को निलंबित करने से जिसके अनुसार काम पर इस तरह की वापसी को तब तक रोकना चाहिए जब तक कि DHS ऑफिस ऑफ इंस्पेक्टर जनरल की अंतिम जांच रिपोर्ट जारी नहीं हो जाती, उन कर्मचारियों को अपनी प्रत्यक्ष देखभाल वाले पदों पर अधिक शीघ्रता से लौटने में सुविधा होगी जो, DHS ऑफिस ऑफ इंस्पेक्टर जनरल द्वारा निश्चित करने के बाद अपने प्रत्यक्ष देखभाल वाले पदों पर वापस आएंगे, ताकि कोविड-19 संकट के दौरान मानसिक रोगियों या बौद्धिक या विकासात्मक अक्षमता वाले रहवासियों के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करने हेतु पर्याप्त स्टाफ प्रदान किया जा सके;

इसलिए, इलिनॉय राज्य के गवर्नर के रूप में मुझ में निहित शक्तियों द्वारा, और इलिनॉय इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी अधिनियम, 20 ILCS 3305 (Illinois Emergency Management Agency Act, 20 ILCS 3305) के अनुभाग 7 (1), 7 (2), 7 (8), और 7 (12) के अनुसार, और राज्य के लोक स्वास्थ्य कानूनों में निर्धारित शक्तियों के अनुरूप, मैं एतद द्वारा निम्नलिखित आदेश देता हूं, जो 10 अप्रैल, 2020 से प्रभावी

होगा और राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (Gubernatorial Disaster Proclamations) की शेष अवधि के लिए लागू रहेगा:

अनुभाग 1. राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (Gubernatorial Disaster Proclamations) की अवधि के दौरान और उसकी समाप्ति के बाद अधिकतम तीस दिनों के लिए, निम्नलिखित वैधानिक प्रावधान निलंबित किए जाते हैं: इलिनॉय आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1963 के अनुभाग 104-17(b), 104-23(b)(3), 104-25(b), और 104-26(c)(2) (Sections 104-17(b), 104-23(b)(3), 104-25(b), and 104-26(c)(2) of the Illinois Code of Criminal Procedure of 1963) साथ ही इलिनॉय यूनिफाइड कोड ऑफ करेक्शंस के अनुभाग 5-2-4(a) (as well as Sections 5-2-4(a) of the Illinois Unified Code of Corrections). तदनुसार, सभी इलिनॉय काउंटी जेलों से मानव सेवा फॉरेंसिक उपचार कार्यक्रम विभाग इलिनॉय (Illinois Department of Human Services Forensic Treatment Programs)में सभी प्रवेश निलंबित किए जाते हैं, सिवाय उन मामलों के जो सीमित अत्यावश्यक भर्तियों के लिए मानव सेवा फॉरेंसिक उपचार कार्यक्रम विभाग इलिनॉय के सचिव के स्वविवेक पर निर्भर होंगे। सचिव को काउंटी शेरिफ और अन्य भागीदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए निर्देशित किया जाता है ताकि उन व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके जो DHS फॉरेंसिक उपचार कार्यक्रम (DHS Forensic Treatment Programs) और साथ ही काउंटी जेल और DHS सुविधाओं में ट्रांसफर किए जाएंगे।

अनुभाग 2. राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (Gubernatorial Disaster Proclamations) की अवधि के दौरान और उसकी समाप्ति के बाद अधिकतम तीस दिनों के लिए, 405 ILCS 5/3-210 के कुछ प्रावधान एतद द्वारा निलंबित किए जाते हैं, क्योंकि वे इलिनॉय के मानव सेवा कर्मचारी विभाग पर लागू होते हैं, जैसा कि इंस्पेक्टर जनरल के स्वतंत्र DHS कार्यालय द्वारा निर्धारित किया गया है, निम्न में से किसी भी श्रेणियों में: (1) जिन कर्मचारियों के आचरण की जांच की जा रही है, यदि वे प्रमाणित हो जाते हैं, तो उनको नौकरी से नहीं हटाया जाएगा या HCWR पर नहीं रखा जाएगा (इनमें वे आरोप शामिल हैं जिनकी, अगर पुष्टि होती है, तो DHS इंस्पेक्टर जनरल; (a) को क़ानूनी तौर पर HCWR को रिपोर्ट करने की जरुरत नहीं होगी; या (b) कथित आचरण की प्रकृति के आधार पर, HCWR पर कर्मचारी को रखे जाने को निर्धारित नहीं करेगा; या (2) कर्मचारी जिन पर OIG की जांच चल रही है जो पूर्ण हो गई है या भौतिक रूप से पूर्ण है, और जहां इंस्पेक्टर जनरल का DHS कार्यालय एक स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंच गया है कि कर्मचारी के खिलाफ आरोप OIG अंतिम जांच रिपोर्ट (OIG Final Investigative Report) में अप्रमाणित रहेंगे या निराधार रहेंगे।

अनुभाग 3. यदि इस सरकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या किसी व्यक्ति या परिस्थिति पर इसके अनुप्रयोग को सक्षम अधिकार-क्षेत्र के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी भी अन्य प्रावधान या इस सरकारी आदेश के अनुप्रयोग को प्रभावित नहीं करती है, जिसे अमान्य प्रावधान या अनुप्रयोग के बिना प्रभावी किया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस कार्यकारी आदेश के प्रावधानों को पृथक्करणीय घोषित किया गया है।

जे.बी. प्रिट्ज़कर (JB Pritzker)

राज्यपाल (Governor) द्वारा जारी 10 अप्रैल, 2020
राज्य सचिव (Secretary of State) द्वारा दायर 10 अप्रैल, 2020